निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

वाद संख्या 71/2025

संतोषबाई पुत्री हीरालाल पत्नी हरिओम जाति खाती निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादी—

बनाम

राज्य सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। —प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर टी एक्ट

—:: निर्णय ::—

उपस्थिति :—

1. श्री किशोरीलाल चोधरी (वकील वादी)
2. पेरोकार सरकार।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि :—

- यह कि वादीनी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम अमृतकुआ पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स० नई 60 के खसरा न0 228 की 0.69 हेक्टर, खसरा न0231 की 0.59 हेक्टर, खसरा न0232 की 0.66 हेक्टर, खसरा न0234 की 0.66 हेक्टर, खसरा न0235 की 0.71 हेक्टर कुल किता 5 की कुल 3.31 हेक्टर आराजीयात स्थित है, उक्त आराजीयात मे वादीनी का 1ध्16 हिस्सा निहित है।

- यह कि वाद पत्र की मद न01 में वर्णित आराजीयात मे निहित वादीनी के हिस्से की आराजी को वादीनी मौके पर शांति पूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग करती चली आ रही है, तथा आज भी वादीनी ने अपने हिस्से की आराजी को मौके पर काबिज काश्त है।

- यह कि वादीनी ने अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर कृषि ऋण आदि प्राप्त करने के लिए अपने खाते की नकल निकलवायी, तो वादीनी की जानकारी में आया, कि वादीनी के खाते की उक्त आराजी मे वादीनी का घर का बोलता नाम शांतिबाई पुत्री हीरालाल दर्ज कर रखा है, वास्तविकता यह है, कि वादीनी के पिता हीरालाल जी की मृत्यु आज से करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है, वादीनी का घर का बोलता नाम शांतिबाई है, इसलिए फौती इन्तकाल खौलते समय वादीनी का घर का नाम शांतिबाई उक्त आराजी के राजस्व रेकाड में दर्ज कर दिया है, वादीनी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड व अन्य पहचान के दस्तावेजो मे वादीनी का वास्तविक नाम संतोषबाई अंकित हो रहा है, जो वादीनी का वास्तविक नाम है।

- यह कि उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का घर का बोलता नाम शांतिबाई दर्ज होने व

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

- वादीनी के पहचान के दस्तावेजो मे वास्तविक व सही नाम संतोषबाई दर्ज होने से नाम मे भिन्नता होने के कारण बैंक द्वारा वादीनी को बैंक ऋण देने से मना कर दिया, साथ ही वादीनी को सरकार से मिलने वाले अनुदान, सहायता राशि से भी वंचित होना पड रहा है।

- यह कि वादीनी द्वारा राजस्व रेकार्ड मे घर का बोलता नाम दर्ज होने से उसे दुरस्त करवाने के लिए वादीनी द्वारा पटवारी हल्का महोदय से निवेदन किया, तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त नाम को दुरस्ती करने से मना कर दिया, तथा माननीय न्यायालय से आदेश लाने के बाद ही नाम दुरस्ती करने की कहने से वादीनी के लिए माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है, जिससे उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

- यह कि वाद कारण आज से एक माह पूर्व वादीनी को राजस्व रेकार्ड मे नाम गलत होने की जानकारी होने पर पटवारी हल्का महोदय से नाम दुरस्ती करने की कहने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने से वाद कारण अंतिम बार उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त आराजी माल ग्राम अमृतकुआ तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वाद का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

- अतः वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित माल ग्राम अमृतकुआ पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स० नई 60 के खसरा न० 228 की 0.69 हेक्टर, खसरा न0 231 की 0.59 हेक्टर, खसरा न0 232 की 0.66 हेक्टर, खसरा न0 234 की 0.66 हेक्टर, खसरा न0 235 की 0.71 हेक्टर कुल किता 5 की कुल 3.31 हेक्टर आराजीयात मे दर्ज वादीनी के घर के बोलते नाम शांतिबाई के स्थान पर संतोषबाई दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे, तथा उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त कर वादीनी के घर के नाम शांतिबाई को दुरस्त कर संतोषबाई दर्ज किये जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जावे, इस आशय की घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती की डिकी पारित फरमायी जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी पेराकार सरकार तहसीलदार सांगोद की ओर से जवाब मय मौका रिपोर्ट इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि ग्राम अमृतकुआं में ऑनलाइन जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं० 60 ख0नं0 228 किता 5 रकबा 3.3100 है० में शांति बाई पुत्री हीरा हिस्सा 1/16 जाति खाती वगै० सा० देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है व खाता सं० 59 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में ख0नं0 258 किता–2 रकबा 0.68 है० में शांति पुत्री हीरा वगै० जाति खाती दर्ज है। ग्राम अमृतकुआं में जमाबन्दी सम्वत् 2058–2077 (सेटलमेंट) से खाता सं0 54 में भी उक्त खातेदार का नाम शांति पुत्री हीरा वगै० दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक ग्राम वासियान एवं सलग्न दस्तावेज से प्रार्थी का बोलता हुआ नाम शांतिबाई था एवं प्रार्थी का वास्तविक नाम संतोष बाई है। मौके पर उपस्थित गवाहो के हस्ताक्षर कराए गए।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात एवं जवाब सरकार का गहनतम अवलोकन करने के उपरान्त दावा वादीनी स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः दावा वादी स्वीकार कर आदेश प्रसारित किये जाते हैं कि माल ग्राम अमृतकुआ पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स० नई 60 के खसरा न० 228 की 0.69 हेक्टर, खसरा न0 231 की 0.59 हेक्टर, खसरा न0 232 की 0.66 हेक्टर, खसरा न0 234 की 0.66 हेक्टर, खसरा न0 235 की 0.71 हेक्टर कुल किता 5 की कुल 3.31 हेक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीनी के नाम 'शान्तिबाई' के स्थान पर 'संतोषबाई' अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। तद्नुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 10|3|26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

बइजलास – श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 71 / 2025

संतोषबाई पुत्री हीरालाल पत्नी हरिओम जाति खाती निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

–वादी–

बनाम

राज्य सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। –प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर टी एक्ट

तारीख फैसला दिनांक .... यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादी स्वीकार कर आदेश प्रसारित किये जाते हैं कि माल ग्राम अमृतकुआ पटवार हल्का अमृतकुआ तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स० नई 60 के खसरा न० 228 की 0.69 हेक्टर, खसरा न0 231 की 0.59 हेक्टर, खसरा न0 232 की 0.66 हेक्टर, खसरा न0 234 की 0.66 हेक्टर, खसरा न0 235 की 0.71 हेक्टर कुल किता 5 की कुल 3.31 हेक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीनी के नाम 'शान्तिबाई' के स्थान पर 'संतोषबाई' अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।निज ———— मुबलिग ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख को जारी की गई।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकुमनामा		
बाबत इजराय हुकुमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)